

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 26.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में दबिश के दौरान 19 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस** द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. मजनू पुत्र सीताराम निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. बालेन्द्र मौर्या पुत्र हरिराम मौर्या निवासी डड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. भोला पुत्र राजेन्द्र साकिन बूधाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह, उ0नि0 श्री प्रभांशु कुमार राय, का0 बृजेश कुमार वर्मा, का0 अपूर्व त्रिपाठी, का0 देवेन्द्र वर्मा, का0 उमेश कुमार।

थाना महुली पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. अब्दुल करीम उर्फ मोहम्मद करीम पुत्र डा0 अब्दुल हमीद निवासी मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 02. अब्दुल बेलाल पुत्र डा0 अब्दुल हमीद निवासी मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 03. राधे पुत्र स्व0 श्रीराम निवासी मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री जयहिन्द भारती, हे0का0 मिथिलेश्वर चौधरी, हे0का0 श्रीकान्त यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी नाम पता 01. बेचन पुत्र कोमल निवासी डुहिया खुर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. कोइला देवी पत्नी पंचदेव निवासी सिरसी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 03. रामसरन पुत्र जयराम निवासी बछईपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 04. त्रिलोकी पुत्र परशुराम साकिन मदहां थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 05. राजकुमार उर्फ सम्हारे राजभर पुत्र राजेन्द्र निवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, का0 रवि चौरसिया, का0 मैनेजर यादव, का0 अजय कुमार म0का0 आकांक्षा सिंह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी नाम पता 01. मजहर आजाद पुत्र मुबारक हुसैन निवासी पसाई थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. बिजली उर्फ रामू पुत्र शिवचरन निवासी केकरहियापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 03. मगरू पुत्र सुखु 04. सर्वजीत पुत्र बीपत निवासीगण नवधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री ददन राय, उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार तिवारी, हे0का0 राजीव शर्मा, हे0का0 अरविन्द चौहान, का0 प्रमोद शर्मा, का0 निर्भय प्रताप सिंह ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. धनकेशरा पत्नी पिताम्बर निवासी भेड़ौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 02. शीला पत्नी चन्दन निषाद निवासी भेड़ौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 03. सिकन्दर निषाद पुत्र वंश राज निवासी भेड़ौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय स्वाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामनयन आर्या, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री विजय शंकर पाण्डेय, का0 राजूराम, म0का0 अंजना ।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता इन्द्रजीत यादव पुत्र झीनक यादव निवासी जमया उर्फ धुसवां थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय स्वाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री विनय कुमार राय, का0 अयोध्या प्रसाद, का0 लवलेश कुमार ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 221 वाहनों से 3,61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 221 वाहनों से 3,61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 26.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री सर्वदवन सिंह** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 402/2026 धारा 108, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस में वाँछित अभियुक्ता उर्मिला देवी पत्नी सोमन निषाद निवासी मुहल्ला बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से आज दिनांक 26.10.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 24.09.2026 को थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 23.09.2026 को अभियुक्ता उपरोक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के बाहर वसंती माता जी के स्थान के पास मेरे लड़के उम्र लगभग 30 वर्ष को गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए मारा पीटा, किसी तरह मेरा लड़का घर पर आया। पुनः शाम को मेरे घर पर चढ़ आये तथा मेरे लड़के को पुनः गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे। मेरा लड़का इससे छुब्ध (आहत) होकर अपने घर के अन्दर ही फाँसी लगा लिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.10.2026 को घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री जयनाथ यादव, म0आ0 निधि सिंह।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 26.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुशवाहा की गठित टीम द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 399/2026 धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण नाम पता 01. रविप्रकाश पुत्र रामवेलास 02. संचित राम उर्फ पिन्टू पुत्र रामवेलास 03. संदीप पुत्र रामवेलास निवासीगण करही थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को करमाखान पुलिया के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का विवरण— वादी श्री प्रेमचंद यादव पुत्र रामलोचन निवासी करही थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर द्वारा दिनांक 02.10.2026 को थाना दुधारा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्तगण अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मेरे लड़के पटक कर उसके सीने पर चढ़कर जान से मारने की नीयत से सिर पर व सीने पर ईंट, हाथ में पहने चुल्ले से मारे पीटे जिससे मेरा लड़का मौके पर छटपटा कर बेहोश हो गया। मेरे लड़के को बेहोशी हालत में देखकर उक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उपरोक्त वांछित 03 अभियुक्तों को आज दिनांक 26.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री शोभनाथ, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 रंजन राजभर।

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 26.10.2026

क्रैक साइबर अभियान के तहत साइबर फ्रॉड के 02 पीड़ितों को थाना बखिरा की साइबर सेल ने दिलाई राहत, कुल ₹11,548.99 की धनराशि वापस कराई

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संचालित क्रैक साइबर क्राइम अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से थाना बखिरा साइबर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार 02 साइबर फ्रॉड पीड़ितों की कुल ₹11,548.99 की धनराशि उनके खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गयी।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण

1. मेनका प्रजापति, निवासी महला, पोस्ट पसाई: दिनांक 08.01.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर उनके पति के एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर साइबर धोखाधड़ी करते हुए ₹9,998.29 की धनराशि ठगी गई थी। इस प्रकरण में पीड़िता की ₹6,998.99 की धनराशि वापस कराई गई।

2. सयफुर्जा पुत्र रिजवानुल्लाह, निवासी रसूलाबाद: दिनांक 03.05.2025 को ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर ₹5,140.00 की साइबर धोखाधड़ी की गई थी। इस प्रकरण में पीड़ित की ₹4,550.00 की धनराशि वापस कराई गई।

उक्त दोनों प्रकरणों में MRM पोर्टल एवं बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ितों के खातों में धनराशि वापस कराई गई। शेष धनराशि की वापसी हेतु संबंधित बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की जा रही है। अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ितों एवं उसके परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की सराहना की गई।

कार्यवाही करने वाली टीम :- थानाध्यक्ष बखिरा श्री दिलीप कुमार सिंह, प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री राजेश कुमार, आरक्षी चन्द्रभान सिंह, आरक्षी ओमनाथ दुबे, महिला आरक्षी सुमन कुमारी, महिला आरक्षी अवन्तिका।

जनता से अपील-

संतकबीरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें तथा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। अपनी OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV एवं बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 26.10.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 5000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 26.10.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 01.06.2013 को वादी मुकदमा राम पुत्र रामशंकर निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त मजनू पुत्र सीताराम निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी व श्रीराम व लड़के संदीप कुमार को दिनांक 01.06.2013 को गाली गलौज व धमकी देते हुए मारने पीटने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री वी0एस0 शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 411/2013 धारा 325, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्मस्वीकार के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 25 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।